संख्या–2971 /XVIII(II)/11

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2011

विषय–मै0 नीलकण्ठ वेबरेजेज प्रा0लि0 द्वारा तहसील रूड़की के ग्राम कुलचन्दी में औद्योगिक प्रयोजनार्थ कय की गई कुल 0.3413 है0 को अपरिहार्य कारणों से विकय किए जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश सं0–218/भूकय/18(1)/2006 दि0–8.12.2006, शासनादेश सं0–674/18(2)/2009 दि0–22.7.2009 एवं निदेशक, नीलकण्ड वेबरेजेज प्रा0लि0 के प्रार्थना पत्र दि0–8.8.2011, पत्र दि0–23.11.2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि आवेदक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहित से प्रभावित हो गई है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त संस्था द्वारा पूर्व में कय की गई उक्त भूमि को विकय किए जाने की निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करते हैः–

1. भूमि का विकय/उपयोग जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(ख) के परन्तुक के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा अर्थात भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा।
2. आवेदक के प्रस्तावानुरूप उत्तराखण्ड के खातेदारों के पक्ष में भूमि कय की अनुमति दी जा रही है।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–2971/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. निदेशक, मै0 नीलकण्ठ वेबरेजेज प्रा0लि0, कृष्णा अपरा प्लाजा, ग्राउण्ड फ्लोर 12 व 14 पी 3, सेक्टर 18, नोएडा–201301
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1026UO LETTERS